संख्या : 1654 बी. / क0नि0–6–2017–01(बी) / 2017

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, कृषि, उ0प्र0।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0)।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनु–6 लखनऊः दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

विषयः "लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में"।

महोदय,

विषयगत फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत एक ही आधार कार्ड पर विभिन्न बैंको या विभिन्न भूमि के सापेक्ष योजना में निहित मापदण्डों के अनुरूप अर्ह किये गये कृषकों के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त प्रकरणों में उक्त योजना में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार समानुपातिक रूप से रू0 1.00 लाख तक की सीमा का ही ऋण मोचन किया जायेगा। यदि प्रथम व द्वितीय चरण में उक्त प्रकार के कृषकों के लिए ऋण मोचन की संस्तुति की गयी हो तो शेष खातों में जिसमें सबसे अधिक धनराशि अवशेष है उस खाते में पूर्व में आंशिक रूप से मोचित की गयी धनराशि को सम्मिलित करते हुए रूपये एक लाख की धनराशि की सीमा तक ही ऋण मोचन की संस्तुति की जायेगी और जिला स्तरीय समितियों द्वारा इस सम्बन्ध में पोर्टल पर स्वयं प्रविष्टियाँ की जाएंगी। एन0आई0सी0 द्वारा पोर्टल पर इसकी समुचित व्यवस्था भी कर दी जाय।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्याः) 645 बी(1)/क0नि0–6–2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/सूचना/आई0टी0 एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग
4. स्टाफ आफीसर एवं विशेष सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. महानिदेशक संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0।
8. निदेशक, कृषि/कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।